



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ
 आफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ
Email : upavpse2@gmail.com



पत्रांक :-

/ C-12 / 01

दिनांक :- 07/01/2020

ई-निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में अर्ह श्रेणी/ग्रुप में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से, ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, मेरठ के ऑफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड/खोली जाएगी :-

क्रं 0 सं 0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क + जी.एस.टी. (रु0 में)	ठेकेदार की परिषद में अर्ह पंजीकृत श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	8	9
1	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में केन्द्रीय मूल्यांकन भवन की विन्डो पर ग्लिल एवं इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के चारों ओर फेन्सिंग व शेड लगाने का कार्य।	27.00	0.54	03 माह	1,500.00 + GST 18 प्रतिशत	श्रेणी-IV	नि0खं0 मेरठ-2
2	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में प्रशासनिक भवन की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	18.83	0.38	06 माह	1,000.00 + GST 18 प्रतिशत	श्रेणी-IV	नि0खं0 मेरठ-2
3	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में निर्मित नवीन संचालित फार्मसी भवन में मैकेनिकल फ्रैश एयर वेंटिलेशन सिस्टम (HVAC) सहित एवं ए0सी0 की सप्लाय एवं इन्स्टॉलेशन का कार्य तथा रिफ्लेक्टिंग कूल कोटिंग लगाने का कार्य।	34.86	0.70	02 माह	1,500.00 + GST 18 प्रतिशत	श्रेणी-IV	नि0खं0 मेरठ-2
4	जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11, मेरठ के सं0-2 (किसान पॉकेट) में आन्तरिक सीवर, जलापूर्ति लाइन के रख-रखाव का कार्य।	3.17	0.07	03 माह	500.00 + GST 18 प्रतिशत	श्रेणी-IV	नि0खं0 मेरठ-1

शर्त :-

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्नानुसार है), ई-निविदा निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

	खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
क्रम सं0-1, 2 व 3 पर अंकित कार्य हेतु।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ	यूनियन बैंक आफ इन्डिया	गढ़ रोड, शास्त्रीनगर, मेरठ	499102010037063	UBIN0549665
क्रम सं0-4 पर अंकित कार्य हेतु।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ	इण्डियन ओवरसीज बैंक,	बी-7, शास्त्रीनगर मेरठ।	153201000009850	IOBA0001532

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र० सं०	विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा प्रकाशन तिथि।	07.01.2026	—
2	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि।	09.01.2026	अपरान्ह 5:00 बजे से
3	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि।	22.01.2026	अपरान्ह 5:00 बजे तक
4	ई-निविदा खोले जाने की तिथि।	24.01.2026	अपरान्ह 1:00 बजे

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर रु० 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु० 1/- के रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, कीड स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बी०ओ०क्यू० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ० प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी०एस०टी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश, बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधेहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
- समस्त कार्य, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ०प्र० जल निगम/MORTH/IRC/यू.पी.पी.सी.एल.(विद्युत कार्यों हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
- निविदा की बी०ओ०क्यू० में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक (+/-) परिवर्तन (बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी) हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.in एवं उ०प्र० इलैक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2/आडिट/08 टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशतअतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉमेन्स गारन्टी, एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० जो कार्य से सम्बन्धित निर्माण खण्ड, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी,
- कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
- निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात

- एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
 18. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जायेगी।
 19. ई-टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
 20. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 21. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, निविदा की दरें कम (Below) मानी जायेगी।
 22. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
 23. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म में उल्लिखित क्लोज-(1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुये, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
 24. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
 25. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
 26. डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (भवन निर्माण कार्य हेतु पाँच वर्ष, बाउण्ड्रीवाल कार्य हेतु 03 वर्ष तथा सड़क निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु दो वर्ष) हेतु कार्य कुल लागत का एक प्रतिशत की वारन्टी धनराशि रोकी जाएगी, जो निर्धारित अवधि के पश्चात ही अवमुक्त की जाएगी।
 27. ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (टी-4, टी0-5, टी0-6) जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो निविदा खुलने की तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
 28. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे, जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी :-
 (अ) फर्म का पैन कार्ड।
 (ब) फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 (स) फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 (द) फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
 (य) वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र।
 29. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक को) पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर, संलग्न करना अनिवार्य है।
 (अ) निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
 (ब) निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
 (स) निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
 30. शासनादेश सं0-1345/86-2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली नियमानुसार की जायेगी।
 31. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्व-स्वामित्व/अनुबन्धित होने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

32. निर्माण के दौरान जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साईन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
33. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
34. कार्य को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
35. अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
36. जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेंगी।
37. एन0जी0टी0 सम्बंधी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
38. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
39. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड/अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
40. किसी भी विवाद की दशा में जनपद-मेरठ न्यायिक क्षेत्र होगा।
41. शेष प्रपत्र निविदा में संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार अपलोड करने होंगे।
42. उपरोक्त के अतिरिक्त क्रमांक-3 पर अंकित कार्य हेतु परिषद द्वारा निर्गत विद्युतीकरण/यांत्रिक कार्य का पंजीकरण प्रमाण-पत्र फर्म द्वारा संलग्न करना अनिवार्य है।

(राहुल यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 :- 101 / उपरोक्तानुसार/

तद दिनांक :- 07/04/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-01/02/03/04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता